राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
फोन नं0 0141–2221812,
ई–मेल :– pcpndt-rj@nic.in

बेटी बचाओ
Save the girl Child

कमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/स्वा0 प्रबं0/SSB Meeting/2017/394 दिनांक : 13/7/17

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 22.05.2017 को साय: 4.00 बजे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की बैठक माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं पदेन अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी श्रीमान कालीचरण सर्राफ महोदय की अध्यक्षता में आरएचएसडीपी हॉल, निदेशालय स्वास्थ्य भवन जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक में संलग्न सूची परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार माननीय सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड व अन्य सम्बन्धित आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं शासन सचिव (प0क0) महोदय द्वारा माननीय मंत्री महोदय एवं अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड सहित बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक के एजेण्डा आइटम का संक्षिप्त ब्योरा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं माननीय सदस्यों द्वारा प्रत्येक एजेण्डा आईटम पर चर्चा करके सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

1. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की दिनांक 03.02.2017 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।
2. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय द्वारा माननीय मंत्री महोदय को राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा अधिनियम की पालना एवं क्रियान्विती के लिये किये जा रहे कार्यों कि जानकारी देते हुए बताया की राज्य में अधिनियमानुसार राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं राज्य सलाहकार समिति का गठन संपूर्ण है एवं बैठक नियमित अन्तराल पर आयोजित की जा रही है।
3. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय ने माननीय मंत्री महोदय एवं सदस्यों को पीसीपीएनडीटी अधिनियमानुसार राज्य में किये जा रहे पंजीकृत केन्द्रों के निरीक्षणों की जानकारी से अवगत कराते हुए बताया कि राज्य में जिलों में इन्स्पेक्शन की संख्या में लगातार बढोतरी हुई है वर्ष 2015 में किये गये निरीक्षण (1435) कि अपेक्षा वर्ष 2016 में किये गये निरीक्षण (2468) में लगभग डेढ गुना बढोतरी हुई है तथा वर्ष 2017 के प्रथम त्रैमास में भी राज्य में निरीक्षणों की संख्या बढी है। अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोद्य के सुझाव पर निरीक्षणों में कमी वाले जिलों के जिला कलक्टर को अधिनियम की क्रियान्विती हेतु अर्द्धशासकीय पत्र लिखे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
4. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय ने राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड को राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा किये जा रहे डिकॉय ऑपरेशन की जानकारी देते हुये बताया की राज्य में अब तक कुल 70 डिकॉय ऑपरेशन किये जा चुके हैं जिनमें से वर्ष 2017 में पिछली बैठक से अब तक 13 सफल डिकॉय ऑपरेशन किये जा चुके हैं जिसमें से 5 अन्तर्राज्यीय डिकॉय ऑपरेशन गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश एवं पंजाब में किये गये हैं। अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया की राज्य में गत एक वर्ष में 15 सफल डिकॉय ऑपरेशन किये गए हैं।

5. माननीय मंत्री महोदय ने भ्रूण लिंग जांच पर की जाने वाली डिकॉय कार्यवाहियों कि पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा निर्मित डॉक्युमेंट्रि फिल्म को विभिन्न महाविद्यालय में जनजागरूकता हेतु दिखाई जाने के निर्देश प्रदान किये।
6. माननीय मंत्री महोदय ने "बेटी बचाओ अभियान" में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ ही महिला आयोग एवं बाल संरक्षण आयोग की सहभागिता में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश प्रदान किए।
7. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक में विशेष रूप से आंमत्रित गैर सरकारी संगठन (प्लान इण्डिया, एस आर के पी एस) सदस्यों में से श्रीमती मीनाक्षी के सुझाव पर जिला सलाहकार समिति में बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों को विशेष आंमत्रित सदस्य के रूप में जोडे जाने हेतु जिलों को निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया।
8. सम्मानीय सदस्य श्री कान सिंह राठौड के सुझाव पर निर्णय लिया गया कि राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों को सम्बन्धित जिले जहां के सदस्य निवासी हो को जिलों कि जिला सलाहकार समिति की बैठक में विशेष आंमत्रित सदस्य के रूप में बुलाये जाने हेतु जिलों को निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया।
9. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 26.05.2017 को पीसीपीएनडीटी एवं स्वास्थ्य पर उदयपुर जिले में प्रमुख शासन सचिव महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गुजरात सरकार की अध्यक्षता में होने वाली राजस्थान–गुजरात सीमावर्ती राज्य स्तरीय बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक, स्वास्थ्य मुददौ के साथ ही विशेष रूप से राज्यों के सीमावर्ती जिलों में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के क्रियान्वयन, मुखबिर योजना के प्रसार एवं डिकॉय कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भ्रूण लिंग जांच में संलिप्त दलालों/व्यक्तियों पर रोक लगने हेतु आयोजित की जा रही है।
   माननीय मंत्री महोदय द्वारा उक्त प्रकार का आयोजन अन्य सीमावर्ती राज्यों के साथ किये जाने का सुझाव दिया।
   - बैठक लगभग 2 घण्टे तक चली।
   - आगामी बैठक सितम्बर के द्वितीय सप्ताह में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
   - बैठक का समापन अध्यक्ष महोदय व सभी प्रतिभागी सदस्यों को धन्यवाद के साथ किया गया।

(नवीन जैन)
शासन सचिव (प0क0)
एवं मिशन निदेशक (एनएचएम),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित है :–

A

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार। **(Email :- sahealthminister@gmail.com)**
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमति चन्द्रकान्ता मेघवाल (माननीय विधायक, रामगंजमण्डी, कोटा), बी–13, एम.एल.ए. क्वार्टर, जयपुर, मोबाईल नं. 9413350111, 9414286045

4. श्रीमति संजना आगरी,(माननीय विधायक, सोजत, पाली), 2/4 विधायक नगर (पश्चिम) जयपुर मोबाइल नं0 9928371601 9829088165।
5. श्रीमती अल्का सिंह गुर्जर, माननीय विधायक बांदीकुई, दौसा, मोबाईल नं. 9414077990
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। **(Email :- ph-sje@rajasthan.gov.in)**
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर। **(Email :- secretarylaw.rajasthan@rediffmail.com)**
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सहायक, निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
12. डॉ0 नीता पाटनी, सामाजिक विज्ञानी, डी–8, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर मोबाइल न0 9414238226। **(E-mail:-neetapatni@gmail.com)**
13. श्री कानसिंह राठौड, विधि विशेषज्ञ, बी–140, आचार्य विनोबा भावे नगर, वैशाली नगर, जयपुर मोबाइल न0 9414123444
14. श्रीमती सीमा दया, महिला कार्यकर्ता, 3–जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर मोबाइल न0 9829363672 **(Email :- seemadaya3@gmail.com)**
15. श्रीमती मंजू शर्मा, महिला कार्यकर्ता, 107–यूनिक सांधी अपार्टमेंट, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर मोबाइल न0 9829394789 **(E-mail:- manjusharmabjp@gmail.com)**
16. डॉ0 सुमन मेहंदी रत्ता, महिला रोग विशेषज्ञ, 4–YA-20, जवाहर नगर, जयपुर मोबाइल न0 9829057336 **(E-mail:- drsumanmittal@gmail.com)**
17. डॉ0 मृदुल गहलोत, महिला रोग विशेषज्ञ, 2 आकांक्षा गहलोत बंगला, अजमेर रोड, जयपुर मोबाइल न0 9414044445 **(Email :- drmridulgehlot@yahoo.com)**
18. डॉ0 तरूण पाटनी, अनुवांशिकी विज्ञानी, 119–केशव विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर मोबाइल न0 9829216070 **(Email :- drtarunpatni@hotmail.com)**
19. डॉ0 सुषमा शर्मा, आनुवांशिकी विज्ञानी, पी–60, राज आंगन एनआरआई कॉलोनी, प्रतापनगर, जयपुर मोबाइल न0 9571106777
20. डॉ0 सतीश जैन, रेडियोलॉजिस्ट, 28–95, भार्गव पथ, मानसरोवर, जयपुर मोबाइल न0 9314285434 **(Email :- drskjain007@gmail.com)**
21. डॉ0 भोपाल सिंह भाटी, सोनोलॉजिस्ट, चम्बल रेजिडेंसी सिविल लाइन्स, सीएमएचओ कार्यालय के सामने, नयापुरा, कोटा मोबाइल न0 9461515147 **(E-mail:-gopal.bhati.gb@gmail.com)**
22. डॉ0 आर.के. गुप्ता, राजस्थान मेडिकल सेन्टर, रेडियोलॉजिस्ट, जोधपुर।
23. डॉ0 अनिता गोयल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सी–201 उन्नति रेजिडेन्सी सेक्टर–1 विद्याधर नगर जयपुर।
24. डॉ0 रिमी शेखावत, सामाजिक कार्यकर्ता, मरूधर हॉस्पिटल खांतीपुरा, जयपुर।
25. श्री राकेश वर्मा, मीडिया सदस्य, 27 बरकत नगर टोंक फाटक, जयपुर।

B

1. निजी सचिव, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं शासन सचिव (प0क0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री लोकेश कुमार तिवाडी, संयुक्त विधि (वादकरण), विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

3. डॉ. (श्रीमती) मीना आसोपा, पत्नी श्री लीलाशंकर आसोपा, निवासी आसोपा बिल्डिंग, स्टेशन रोड, बीकानेर, सहायक स्टेट कमिश्नर, राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड, राज्य मुख्यालय, मोबाईल नं. 9414581756 (**Email :- meena.asopa123@gmail.com**)

C

1. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं निदेशक (आईईसी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक (**SIHFW**), राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान जयपुर।

D

1. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं उप निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. सहायक निदेशक अभियोजन (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
3. प्रभारी पीबीआई / प्रभारी अपराध शाखा / विधि विशेषज्ञ राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ / सलाहकार आईईसी / सलाहकार विधि (एनएचएम), मुख्यालय जयपुर।
4. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान को पालनार्थ।
5. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
6. संबंधित रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी),
एवं उप निदेशक (आरसीएच),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ठ 'अ'

1. श्री काली चरण सर्राफ, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड राजस्थान सरकार।
2. श्रीमती राजकुमारी हाडा प्रतिनिधी अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. श्री अशोक जांगिड अति0 निदेशक, प्रतिनिधी प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. श्रीमति रीता तेजपाल विशिष्ठ सचिव (वादकरण) प्रतिनिधी प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान।
5. डॉ0 श्रीराम तिवाड़ी ओएसडी प्रतिनिधी प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान।
6. डॉ0 वी.के. माथुर (सदस्य) निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
7. डॉ0 नीता पाटनी (सदस्य) सामाजिक विज्ञानी।
8. श्री कानसिंह राठौड (सदस्य) विधि विशेषज्ञ।
9. श्रीमती सीमा दया (सदस्य) महिला कार्यकर्ता।
10. डॉ0 तरूण पाटनी (सदस्य) आनुवांशिकी विज्ञानी।
11. नवीन जैन अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी एवं शासन सचिव (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. प्रतिनिधी सयुक्त विधि (वादकरण) एवं सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी, राजस्थान।
13. डॉ. (श्रीमति) मीना आसोपा, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी, राजस्थान।
14. डॉ0 एरा0सी0 सोनी, अति0 निदेशक, प्रतिनिधी शासन सचिव,चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
15. डॉ0 विशाल सिंह प्रतिनिधी निदेशक (SIHFW), राजस्थान।
16. श्री राजन चौधरी SRKPS जयपुर, राजस्थान।
17. श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, राज्य कार्यक्रम समन्वयक प्लान इण्डिया, राजस्थान।